न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

क्रमांक/वि.अ./126/18/भीलवाड़ा

विभागीय अपील द्वारा श्रीमति सरिता इन्दोरिया, तत्कालीन पटवारी छातड़ी हाल पटवारी चाचियावास जिला अजमेर विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर (भू.अ.) अजमेर दिनांक 16–02–2018

उपस्थितः– श्रीमति सरिता इन्दोरिया तत्कालीन पटवारी छाती़ हाल पटवारी चाचियावास जिला अजमेर

निर्णय

दिनांकः– 26.6.2018

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 16–02–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 16.08.2017 को एक ज्ञापन जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या एक :–

आप पटवार मण्डल छातड़ी पर कार्यरत रहने के दौरान आप द्वारा जारी ग्राम कायमपुरा की जमाबंदी के खाता नम्बर 421 नकल रजिस्टर क्रमांक 2900 दिनांक 08–06–2015 जारी की गई है उसमें किसी प्रकार का नामान्तरकरण का नोट दर्ज नहीं था। जबकि इसके पश्चात उक्त खाते की जारी नकल दिनांक 02–03–2016 में नामान्तरकरण संख्या 223 दिनांक 06–04–2015 का अमल किया हुआ है। इसी प्रकार आप द्वारा जारी नकल, नकल रजिस्टर क्रमांक 19 दिनांक 21–4–2016 को जारी की गई है उसमें तत्कालीन पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 06–09–2012, नामा0 सं0 327 दिनांक 20–12–2015 व नामा0 स0 348 दिनांक 22–02–2016 का अमल किया हुआ है जबकि आप द्वारा दिनांक 12–1–2016 को जारी नकल में सिर्फ नामा0 सं0 59 दिनांक 06–09–2012 का ही अमल किया गया है। तत्कालीन पटवारी द्वारा ग्राम कायमपुरा की जमाबंदी के खाता नम्बर 303 की जारी नकल दिनांक 02–03–2016 के अनुसार नामान्तरकरण

संख्या 218 दिनांक 04–12–2010, नामा0 सं0 224 दिनांक 06–04–2015, नामा0 स0 288 दिनांक 05–08–2015, नामा0सं0 351 दिनांक 22–02–2016, नामा0 सं0 73 दिनांक 07–02–2013, नामा0 सं0 224 दिनांक 06–04–2015 व नामा0 सं0 349 दिनांक 22–02–2016 का अमल दर्ज है जबकि आप द्वारा जारी नकल दिनांक 08–06–2015 की छाया प्रति अनुसार खाता संख्या 303 में नामा0 सं0 73 दिनांक 07–02–2013, नामा0 सं0 218 दिनांक 04–02–2010 एवं आप द्वारा जारी नकल दिनांक 12–01–2016 के अनुसार खाता संख्या 303 में नामा0 सं0 218 दिनांक 04–12–2010 व नामा0 सं0 224 दिनांक 06–04–2015 का ही अमल किया गया है। इस प्रकार आप द्वारा खाता संख्या 421 व 303 की जारी की गई नकलों में जानबूझकर खातों में अंकित नामान्तरकरणों का इन्द्राज नहीं किया गया है।

आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के साथ–साथ मनमर्जी से राजकार्य करने का द्योतक है जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इन्होंने निर्धारित अवधि में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर लगाये गये आरोप से असहमति व्यक्त की। इसलिए जिला कलक्टर, अजमेर ने अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए इसके लिए तारीख 18–01–2018 निश्चित की गई। इस पेशी पर अपचारी पटवारी उपस्थित हुई। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपचारी पटवारी को सुनने के पश्चात दिनांक 16–2–2018 को आदेश पारित किया जिसमें अपीलान्ट को इस मामले में दोषी मानकर उनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया। जिला कलक्टर के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, अजमेर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 16–02–2018 विधिविरूद्ध निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, अजमेर उनके पत्र क्रमांक कअ/भू.अ./विजा/2018/4730 दिनांक 05–06–2018 द्वारा टिप्पणी प्रेषित की जिसमें उल्लेखित किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री असगर अली पुत्र श्री बाबू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम कायमपुरा तहसील अजमेर ने तत्कालीन पटवारी छातड़ी श्रीमति सरिता इन्दोरिया के विरूद्ध शिकायत पत्र प्रस्तुत किये जाने पर शिकायत की जांच तहसीलदार, अजमेर से करवाई गई। तहसीलदार, अजमेर ने अपनी जांच

रिपोर्ट दिनांक 27–12–2016 से अवगत कराया कि श्रीमति सरिता इन्दोरिया द्वारा कार्य की अधिकता होने के कारण प्रकरण से संबंधित भूमि का नामान्तरकरण का नोट लगाये बिना जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां जारी किया जाना स्वीकार किया है, जो कि पटवारी हलका की लापरवाही को इंगित करता है। शिकायत सही पाये जाने पर कार्मिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अपचारी कार्मिक को एक आरोप से आरोपित किया जाकर दिनांक 18–1–2018 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। अपचारी कार्मिक की व्यक्तिगत सुनवाई की गई। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपचारी कार्मिक द्वारा ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उसके विरूद्ध स्थापित आरोपों से दोषमुक्त किया जा सके। तहसीलदार, अजमेर द्वारा प्रस्तुत जांच के दौरान कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में यह भी कथन किया है कि कार्य की अधिकता के कारण संभवतः नामान्तरकरण का अमल नहीं किया गया। कार्मिक का यह कथन उचित प्रतीत नहीं था, तत्समय कार्मिक के पास केवल एक पटवार मण्डल का ही कार्यभार था। कार्मिक ने अपने प्रत्युत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी कार्य की अधिकता के संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये। अपचारी कार्मिक को दोषी पाये जाने पर उसे नियमानुसार दण्डित किया गया है।

अपचारी कर्मचारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रेषित ज्ञापन प्राप्ति के 15 दिवस में लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं किसी अभिलेख का निरीक्षण करना चाहे तो उसकी सूचि प्रस्तुत करने को कहा गया था। अपीलांट को ज्ञापन दिनांक 06–09–2017 को प्राप्त हुआ। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 11–09–2017 द्वारा प्रस्तावित रेकार्ड की सूची प्रस्तुत की। जिला कलक्टर महोदय अजमेर के पत्र क्रमांक 8999 दिनांक 14–11–2017 द्वारा तहसीलदार, अजमेर को रेकार्ड का अवलोकन करवाने एवं प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। किन्तु तहसीलदार, अजमेर ने पूर्ण रिकार्ड का न तो अवलोकन कराया और ना ही वांछित अभिेख की प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाई। अपीलांट ने मजबूर होकर ज्ञापन का प्रतिउत्तर दिनांक 30–11–2017 को प्रस्तुत कर दिया। रिकार्ड निरीक्षण सी.सी.ए. नियम 16(3) के अन्तर्गत कर्मचारी का अधिकार माना गया है तथा राज्य सरकार ने भी इस संबंध में समय–समय पर निर्देश दिये है। अपीलांट को सम्पूर्ण रिकार्ड नहीं दिखाया गया एवं शुरू से ही उसे निरीक्षण के अधिकार से वंचित कर दिया गया। चूंकि आरोप पत्र जिला कलक्टर अजमेर द्वारा जारी किया गया था। अतः रिकार्ड निरीक्षण करवाने का दायित्व भी उन्हीं का था। तहसीलदार, अजमेर ने जिला कलक्टर महोदय के निर्देश के बावजूद भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाकर निरीक्षण के अधिकार से वंचित कर दिया।

व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपीलांट ने यह भी कथन किया अपीलांट पर पटवार मण्डल छातड़ी के एक आदतन शिकायतकर्ता श्री असगर अली द्वारा प्रस्तुत नकलों की छाया प्रतियों के आधार पर आरोप स्थापित किया गया था। जिस राजस्व अभिलेख की कथित रूप से गलत नकल जारी करने के आरोप में जिला कलक्टर महोदय अजमेर के द्वारा मेरे विरूद्ध दण्डादेश पारित किया गया है, उस राजस्व रेकार्ड की मूल प्रति कभी भी इस जांच के दौरान अथवा उक्त आदेश पारित करने के पूर्व जिला कलक्टर महोदय द्वारा देखी ही नहीं गई। ऐसी स्थिति में श्रीमान् जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश निरस्त योग्य है।

अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध पटवार मण्डल छातड़ी के कार्यकाल से संबंधित आरोप लगाया गया था। पटवार मण्डल छातड़ी के दौरान ग्रामवासी मेरे कार्य से सन्तुष्ट थे और इस बाबत उन्होंने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये थे कि जो जांच के दौरान मेरे द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे परन्तु मेरे विरूद्ध दण्डादेश पारित करने से पूर्व उक्त शपथपत्रों पर गौर नहीं किया गया। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा दण्डादेश पारित करने से पूर्व विधि में स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना एवं अपीलांट की सुनवाई की मात्र पूर्ति कर दण्डादेश पारित कर अपचारी कर्मचारी की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया है। अपीलांट के विरूद्ध लगाया गया आरोप किसी भी स्तर पर उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर, महोदय, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 16–02–2018 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक टिप्पणी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप से आरोपित कर दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नियमों एवं परिपत्रों में उल्लेख है कि किसी भी लोक सेवक के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ करने से पूर्व प्रारम्भिक जांच किया जाना आवश्यक है। प्रारम्भिक जांच करने के आदेश करने वाले अधिकारी यदि स्वयं जांच करने के लिए समय नहीं निकाल सके तो वह किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को जांच सौपें। जांच करने का आदेश जिस अधिकारी के पदनाम से किया जावे, जांच उसी अधिकारी द्वारा की जाए। ऐसा

अधिकारी आगे किसी अन्य अध्कािारी से जांच नहीं करायेगा। जांच अधिकारी की राय में यदि शिकायत प्रथम दृष्टिया साबित होना पाई जाती है तो वह जांच प्रतिवेदन के साथ दोषी लोक सेवक के विरूद्ध आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र का प्रारूप भी बनाकर भिजवायेगा। तहसीलदार, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 2565 दिनांक 9–5–2017 में उल्लेखित किया है कि श्री असगर अली द्वारा प्रस्तुत शिकायत के क्रम में अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रस्तावित की जाकर आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र मय प्रपत्र अबसद प्रस्तुत करने बाबत प्राप्त निर्देशों की पालना में नायब तहसीलदार, अरड़का को आवश्यक कार्यवाही करने बाबत लिखे जाने पर उनके पत्र क्रमांक 326 दिनांक 4–5–2017 से राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की छाया प्रतियां संलग्न करते हुए अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण में आरोपित कार्मिक के विरूद्ध विधिवत प्राथमिक जांच नहीं की गई है। अतःराजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 16 के पृष्ठ संख्या 222 से 228 एवं विभागीय जांच बाबत राज्य सरकार के दिशा निर्देश परिपत्र क्रमांक 2(2)(48)/कअ3/2002 दिनांक 8–5–2012 के पैरा संख्या 4.2 व 7.1 व 8.1 व 9.1 व 9.2 के अनुसार आरोपित कार्मिक के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट के पक्ष में ग्रामवासियों द्वारा बयान एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये है अपीलांट सरिता इन्दौरिया का कार्य एवं व्यवहार अच्छा है बयानों में यह भी उल्लेख है कि शिकायतकर्ता श्री असगर अली पुत्र बाबू खां कायमखानी मुसलमान ग्राम कायमपुरा जो कि आदतन शिकायतकर्ता है तथा आये दिन गांवों में भी लोगों से लड़ाई–झागड़ा करता रहता है व शांति भंग करता रहता है। यह व्यक्ति आपराधिक प्रवृति का है एवं जमीनों में धांधली के मामलों में कई बार थाने/जेल में बन्द हो चुका है। तहसीलदार, अजमेर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27–12–2016 में यह भी अंकित किया है कि अपीलांट द्वारा नकलों में कार्य की अधिकता के करण त्रुटिवश बिना नामान्तरकरण के नोट लगाये कुछ जमाबंदी की प्रतियां जारी की गई है किन्तु इसमें उनकी किसी प्रकार की बदनियती नहीं रही है। किन्तु पटवारी हलका के विरूद्ध अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा इनका कार्य संतोषप्रद होने बाबत ग्रामवासियों द्वारा शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किये गये है जिससे एकसा प्रतीत होता है कि पटवारी हलका द्वारा त्रुटिवश नकल दिये जाने से परिवादी श्री असगर अली को हुए नुकसान से आहत होकर शिकायत प्रस्तत की है। अपीलांट द्वारा कार्य की अधिकता के कारण त्रुटिवश बिना नामान्तरकरण के नोट लगाये जमाबंदी की प्रतियां जारी की गई है उसमें अपीलांट की कोई बदनियति नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न नोटशीट के पैरा संख्या 86 में अंकित है कि यद्यपि शिकायतकर्ता के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी

की फोटो प्रति में नामान्तरकरण का अंकन नहीं होने को मान भी लिया जावे तो संभव है कि तत्समय प्रार्थीया के कार्य की अधिकता के चलते किसी नकल में कोई नामान्तरकरण का अंकन होने से रह गया होगा, जो एक सद्भाविक मामूली सी भूल है, जो बोनाफाईड मिस्टेक है नकलों की फोटों प्रतियों को सही भी मान लिया जावे तो भी उन नकलों में असगर अली से कोई संबंध नहीं है एवं नामान्तरकरणों के अंकन नहीं हो पाने से शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। शिकायतकर्ता एक अपराधिक प्रकृति का व्यक्ति होने के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विभागीय कार्यवाही को ड्राप करने बाबत टिप्पणी को नजरअन्दाज कर विधिविरूद्ध प्रक्रिया अपनाकर अपीलांट की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट के विरूद्ध पारित आरोप पूर्ण रूप से साबित नहीं होने एवं कोई बदनियति जाहिर नहीं होने से अपचारी कर्मचारी श्रीमती सरिता इन्दोरिया द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किये गये कथन एवं जवाब से सहमति व्यक्त करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत पारित दण्डादेश दिनांक 16—2—2018 को इसी स्तर पर समाप्त किया जाकर अपचारी कर्मचारी को भविष्य में सावधानीपूर्वक कार्य करने की हिदायत दी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपचारी कर्मचारी की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ/भूआ/विजा/18/25 दिनांक 16—02—2018 विधिविरूद्ध होने से अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावें।

(हनुमान सहाय मीना),

संभागीय आयुक्त,

अजमेर